

## सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया कलकत्ता HC का फैसला



नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई को रेगुलर रूप से जांच अपने हाथ में लेने का आदेश देने से न केवल जांच एजेंसी पर 'बिना वजह बोझ' पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों को भी 'मनोबल गिराने वाले बहुत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव' का सामना करना पड़ता है।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटना के खिलाफ विशेष-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार महिला को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने संबंधी मामले को एसआईटी जांच का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की।

पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के छह नवंबर के आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था। उसने कहा, "हमारे लिए उन कारणों पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, सिवाय यह कहने के कि मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने से न केवल देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर अकल्पनीय बोझ पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों को भी मनोबल गिराने वाले बहुत गंभीर एवं दूरगामी प्रभाव का सामना करना पड़ता है।"

पीठ ने इस आधार पर आगे बढ़ना उचित नहीं समझा कि परिष्कृत बंगाल केडर को आर्बिट्ररी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच करने और सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ या अक्षम थे। शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी आकाश मधुरिया (डीआईजी प्रेसीडेंसी रेंज), स्वाति भंगालिया (एसपी हावड़ा ग्रामीण) और सुजाता कुमारी वीणापानी (हावड़ा की डीएसपी यातायात) शामिल हैं। पीठ ने आदेश दिया, "एसआईटी जांच तत्काल अपने हाथ में लेगी... जांच के सभी रिकॉर्ड आज ही एसआईटी को सौंप

**सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट के आठ अक्टूबर के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने का आदेश दिया गया था**

भारत का चर्चित अदानी ग्रुप का नाम एक बार फिर विवादों में घिर गया है।

कंपनी के संस्थापक गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी समेत आठ लोगों के खिलाफ अमेरिकी में धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए गए हैं।

गौतम अदानी और इन सात लोगों पर आरोप हैं कि उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीएल) के लिए ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2,100 करोड़ डॉलर की रिश्त देने की साजिश रची थी। साथ ही उन्होंने ये जानकारी छिपाकर अमेरिकी वित्तीय बाजार छिपाकर अमेरिकी वित्तीय बाजार में 'नई पीढ़ी' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी पर लगे आरोप क्या हैं? सागर अदानी अपने करियर की शुरुआत से ही अदानी ग्रीन्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। सागर को अदानी समूह और परिवार में 'नई पीढ़ी' के रूप में देखा जाता है।

इसके अलावा विनीत जैन भी लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं। वो एजीएल में सीईओ थे और वर्तमान में प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। अमेरिकी में हुई कार्रवाई के बाद अदानी समूह के शेयर की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है। एजीएल ने डॉलर-मूल्य वाले बांड के माध्यम से 60 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना को स्थगित कर दिया है।

वहीं कंपनी ने अपने निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को

'आधारहीन' बताया है। गौतम अदानी है कि इससे पहले जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके कारण अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिर गई थीं।

बुधवार को गौतम अदानी और अन्य के खिलाफ न्यूयॉर्क की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। उन पर भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर (लगभग दो हजार 100 करोड़ रुपए) की रिश्त देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके चलते कंपनी को अगले 20 सालों में दो अरब डॉलर (मौजूदा क्रियत पर 169 अरब रुपए) का फायदा होने का अनुमान था। अमेरिकी अधिभोजन पक्ष के अनुसार, गौतम अदानी ने खुद भारतीय अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और रिश्त पर चर्चा की।

इसके अलावा कंपनी के आंतरिक ईमेल में कोडवर्ड में गौतम अदानी के नाम की चर्चा थी। अधिभोजन (पेज 20) के अनुसार, अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन और अन्य लोगों को 'एसएजी', 'न्यूमरो यूनि', 'द बिग मैन' जैसे कोडवर्ड से संबोधित किया जाता था।

आरोप पत्र के मुताबिक, अप्रैल 2022 में अहमदाबाद में अदानी ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस में गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन और अन्य लोगों के बीच बातचीत हुई थी।

गौतम अदानी की गिनती भारत

# हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों को कैसे मात दी

राज्य में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकरीबन अकेले दम पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों को मात दी है।

यह एकमात्र राज्य रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है।

झारखंड में बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे नेताओं ने प्रचार किया था। झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में हेमंत सोरेन की जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, जबकि उनके गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं।

इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राज्य की 14 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं।

लोकसभा चुनाव में आजसू पार्टी के खाते में भी एक सीट आई थी।

सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनावों के छह महीने के बाद हुए चुनावों में हेमंत सोरेन को इतनी



इसी साल जून में जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने फरकटों से बातचीत में खुद के जेल जाने को राजनीति से धेरित करवाई बताया था।

बड़ी कामयाबी कैसे मिली और वो किस तरह से बीजेपी को बड़ी मात दे पाने में सफल हुए?

झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार कहते हैं, हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया है कि वो ही आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने झारखंड में आदिवासी-मूलवासी का मुद्दा उठाया और खुद को धरतीपुत्र बताया, जिसमें वो सफल रहे हैं।

विनय कुमार का मानना है, हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में सफल



रहे कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो राज्य का शासन दिल्ली से चलेगा। झारखंड के आदिवासी स्वभाव से ही विद्रोही होते हैं, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि राज्य का



शासन दिल्ली से चले र

फिर भी आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं दे पाया।

हेमंत सोरेन की इस जीत में राज्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है।

राज्य की हेमंत सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 'मैया सम्मान योजना' चलाती है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते हैं।

इस योजना की घोषणा चुनाव के करीब 3 महीने पहले की गई। इसके तहत 16 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भी आने शुरू हो गए।

हेमंत सोरेन ने चुनावों के ठीक पहले इसे हाई हज्जार करने का वादा किया, जिसका असर वहां दिखाई दिया।

वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन कहते हैं, झारखंड की 81 सीटों में 31 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के वोटिंग



बाद में जानकारी जुटाता है। उसके मुताबिक सागर अदानी 2019 में अदानी ग्रीन एनर्जी में एक कार्यकारी निदेशक थे। उस समय उन्हें रुपए में वार्षिक वेतन मिलता था। उस समय ये राशि 50 लाख रुपए थी।

सागर 2015 से अदानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो शुरुआत से ही एजीएल से जुड़े हुए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी की सभी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का क्रेडिट सागर को ही दिया जाता है।

वो कंपनी के रणनीतिक और वित्तीय मामलों को संभालते हैं और विदेश में भी ग्रुप का काम करते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (साल 2023-24) के अनुसार सागर सतत ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अदानी समूह के प्रयासों का नेतृत्व करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार सागर के पास व्यवसाय, रिस्क मैनेजमेंट, वित्त, वैश्विक अनुभव, विलय और अधिग्रहण, तकनीकी अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और कॉरपोरेट प्रशासन में विशेषज्ञता है। ट्रेडलाइन, भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों और उनके निदेशकों के

राज्य में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकरीबन अकेले दम पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों को मात दी है।

यह एकमात्र राज्य रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है।

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

राज्य में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकरीबन अकेले दम पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों को मात दी है।

यह एकमात्र राज्य रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है।

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

राज्य में जेएमएम नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकरीबन अकेले दम पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों को मात दी है।

यह एकमात्र राज्य रहा है जहाँ विधानसभा चुनावों में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई है।

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।

आनंद मोहन बताते हैं, रजेएमएम के पास अपना वोट तो था ही, कल्पना सोरेन आदिवासी, मुस्लिमों और कुछ अन्य वोटों को

झारखंड में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को

झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था, रिकॉर्ड भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमानत के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है।

अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने के कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।

हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर पहली बार सक्रिय दिखी थीं। वो विपक्षी नेताओं से मिल रही थीं।

कल्पना सोरेन ने अपने पति के जेल जाने को मुद्दा बनाया और विपक्ष की रैलियों में भी जेएमएम का प्रतिनिधित्व किया।